इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2015—कार्तिक 28, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्र. 84(9)-वि. निर्वा.-चार-2015-467.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576-Exit-2015-Vol.I दिनांक 18 नवम्बर 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली—110 001

तारीख 18 नवम्बर 2015—27 कार्तिक, 1937 (शक)

अधिसूचना

संख्या 576-एक्जिट-2015-एस.डी.आर.-खण्ड-I.—यतः, मध्यप्रदेश एवं तेलंगाना के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और मध्यप्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एवं मेघालय के राज्य विधान सभाओं के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/60/2015 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा, 21 नवम्बर 2015 (शनिवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपरान्ह 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/60/2015 के द्वारा घोषित **मध्यप्रदेश के 24-रतलाम (अ. ज. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 15-वारंगल (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश के 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 9-थांगमेईबांद एवं 5-थोगजु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मिजोरम के 12-उत्तरी एजवाल-III (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मेघालय के 32-नोंगस्टोइन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से उप-निर्वाचन के संबंध

में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेश से,
हस्ता./-

(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

Dated 18th November 2015—27 Kartika, Saka 1937

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2015-SDR-Vol.I.—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People from **Madhya Pradesh & Telangana,** and State Legislative Assemblies of **Madhya Pradesh, Manipur, Mizoram & Meghalaya** were announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/60/2015, dated 21st October, 2015;

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) (b) of the said section, hereby notifies the period between **7.00 A.M.** and **5.30 P.M.** on 21-11-2015 (Saturday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-election announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/60/2015, dated 21st October, 2015 from **24-Ratlam (ST) Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh, 15-Warangal (SC) Parliamentary Constituency in Telangana, 171-Dewas Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 9-Thangmeiband & 5-Thongju Assembly Constituencies in Manipur, 12-Aizwal North-III (ST) Assembly Constituency in Mizoram and 32-Nongstoin (ST) Assembly Constituency in Meghalaya,** shall be prohibited.

4. It is further clarified that under section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,
Sd./-

(K. F. WILFRED)
Principal Secretary.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.